

कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड पन्ना (म0प्र0)

निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 26/2013-14

पन्ना, दिनांक 31-8-2013

निविदा आमंत्रण सूचना

मध्य प्रदेश के राज्यपाल की ओर से पृथक-पृथक निविदाएं प्रपत्र "ए" प्रतिशत दर पर नलकूप खनन कार्य हेतु प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल के यूनीफाईड एस0ओ0आर0, जो दिनांक 20-3-2013 से प्रभावशील है, प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग म0प्र0 भोपाल में उपयुक्त श्रेणी में पजीकृत ठेकेदारों (जिनके पास ड्रिलिंग मशीन है) से इस कार्यालय में दिनांक 17-9-2013 को अपरान्ह 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। ये निविदाएं उसी दिन अपरान्ह 3.30 बजे से उपस्थित निविदाकारों या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएंगी। कोरे निविदा प्रपत्र दिनांक 16-9-2013 तक इस कार्यालय से निर्धारित मूल्य जमा करने पर विक्रय किए जाएंगे। ड्रिलिंग मशीन का सत्यापन अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, सागर मण्डल सागर द्वारा गठित समिति से कराना आवश्यक है।

कार्य का विवरण :-

पन्ना जिले के शाहनगर विकासखंड के अंतर्गत शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी केन्द्रों में 60 से 90 मी0 गहराई के 125/115 मि.मी. व्यास के साधारण नलकूप खनन, नलकूप की जल आवक क्षमता की जांच, जल नमूना जांच उपरांत हैण्डपंप स्थापना, प्लेटफार्म निर्माण सहित संपूर्ण कार्य।

स0क0	निविदा समूह क0	कार्य का विवरण एवं विकास खंड	समूह में नलकूपों की संख्या	अनुमानित लागत (रु0 लाख में)	प्रतिभूति राशि रुपये में	प्रमुख अभियंता लोक निर्माण में नवीन पंजीयन की श्रेणी	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु. में)	कार्य करने की अवधि (वर्षाकाल छोड़कर)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	125/115 मि.मी. व्यास के 60 से 90 मीटर गहरे नलकूपों का खनन						
	-	विकासखंड शाहनगर	3	1.95	3900.00	"सी" एवं उससे अधिक	1000.00	45 दिन


सामान्य शर्तें :-

- (1) निविदा संबंधी विवरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में दिनांक 16-9-2013 तक किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती है।
- (2) निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ आयकर अदायगी प्रमाण पत्र एवं भौतिक सत्यापन, ड्रिलिंग मशीन के स्वामित्व का प्रमाण पत्र आदि अभिलेखों की मूल प्रति, छायाप्रति के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। मूल दस्तावेज सत्यापित करने के बाद लौटा दिए जाएंगे।

- (3) स्वयं के व्यय पर कार्य स्थल तक मशीन पहुंचाने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी । कार्य के दौरान किसी हानि एवं दुर्घटना की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी ।
- (4) निविदा प्रपत्रों के प्रदाय करने में कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा । निविदा प्रपत्र किसी भी पंजीकृत ठेकेदार द्वारा निविदा खोले जाने की निर्धारित तिथि से एक दिन पूर्व तक कार्यालयीन समय के दौरान निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त किये जा सकेंगे ।
- (5) निविदायें इस निविदा सूचना के पात्र ठेकेदारों से ही प्राप्त की जावेगी । किसी अपात्र ठेकेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत की जाती है तो ऐसी निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा एवं ऐसे ठेकेदार द्वारा जमा की गई अरनेस्ट मनी जप्त मानी जावेगी ।
- (6) लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग में कार्य कर रहे ऐसी फर्म / ठेकेदार निविदा प्रस्तुत करने के लिये अपात्र होंगे, जिनके द्वारा नलकूप खनन का कार्य अधूरा छोड़ा गया हो, तथा ऐसे ठेकेदार जिनके द्वारा विभाग से कार्य हेतु प्राप्त की गई सामग्री से आंशिक सामग्री का उपयोग कर शेष सामग्री ना तो विभाग को वापिस की गई, और ना ही उसका मूल्य विभाग में जमा किया तत्संबंधी विवरण आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है । ऐसी फर्म/ ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत निविदा निरस्त कर उनके द्वारा प्रस्तुत अरनेस्ट मनी राजसात मानी जावेगी ।
- (7) कार्य में लगने वाली सभी सामग्री केसिंग पाईप तथा हैंडपंप, राईजर पाईप विभाग द्वारा प्रदाय किए जावेंगे, ठेकेदार को उपरोक्त सामग्री पन्ना स्थित विभागीय भण्डार से प्राप्त करना होगी एवं कार्य स्थल तक सामग्री ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर ले जानी होगी ।
- (8) यह केवल संक्षिप्त निविदा सूचना है, कार्य का विस्तृत विवरण जैसे ड्राइंग, डिजाइन, स्पेशीफिकेशन तथा कार्य की विस्तृत शर्तें कार्यालयीन समय के दौरान निविदा प्राप्ति से दो दिन पूर्व तक इस कार्यालय में ठेकेदारों द्वारा देखी जा सकेंगी ।
- (9) लक्ष्य एवं आवंटन के अनुरूप ही ठेकेदारों को कार्य दिया जावेगा ।
- (10) असफल नलकूपों पर कंक्रीट ब्लाक बनाना आवश्यक होगा ।
- (11) जल गुणवत्ता खराब पाए जाने वाले नलकूपों जिन पर हैंडपंप स्थापित नहीं किये जाना है, पर भी कंक्रीट बनाना आवश्यक है ।
- (12) निविदा प्राप्ति हेतु आवेदन के साथ ठेकेदारों को निम्न दस्तावेज आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने होंगे :-
 - (i) उचित श्रेणी में वैध पंजीयन की प्रति
 - (ii) पार्टनरशिप डीड की प्रति
 - (iii) पैन कार्ड की प्रति एवं आयकर विभाग से आयकर चुकता प्रमाण पत्र की प्रति
 - (iv) हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत व्यक्ति का अधिकार पत्र
- (13) इस कार्य हेतु प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, म0प्र0 भोपाल द्वारा जारी नलकूप खनन के निर्माण एवं संबंधित कार्य हेतु यूनीफाईड एस.ओ.आर. जोकि दिनांक 20-3-2013 से प्रभावशील है, निविदा प्राप्ति के दिनांक तक जारी संशोधनों सहित लागू होगा ।


- (14) धरोहर राशि एफ.डी.आर. के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी मान्य की जावेगी । धरोहर राशि बैंक गारंटी या डिपाजिट एट काल के रूप में मान्य नहीं होगी ।
- (15) नलकूप खनन कार्य चयनित स्थल का रेसिस्टीविटी सर्वे के उपरांत ही किया जावेगा जो पंजीकृत हाइड्रोजियोलाजिस्ट के माध्यम से होना अनिवार्य है ।
- (16) निविदा की सम्पूर्ण जानकारी कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है ।
- (17) कोरे निविदा प्रपत्र डाक से प्राप्त करने के लिये रूपये 100.00 अलग से देना होगा । डाक द्वारा विलंब से प्राप्त होने या गुम जाने की जवाबदारी विभाग की नहीं होगी । भरे हुये निविदा प्रपत्र पंजीकृत डाक या व्यक्तिगत रूप से प्राप्त किये जावेगें । दिनांक 17-9-2013 समय 3.00 बजे के पश्चात प्राप्त निविदा प्रपत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी ।
- (18) 60 मीटर गहराई से कम खनित असफल नलकूपों का भुगतान नहीं किया जावेगा ।
- (19) नलकूप की न्यूनतम गहराई 60 मीटर खनन करना अनिवार्य होगा । 60 मीटर से 90 मीटर के बीच जहाँ पर पर्याप्त जल आवक क्षमता प्राप्त होती है तो खनन कार्य बंद करना होगा ।
- (20) निविदा में सम्मिलित कार्य की मात्रा घटाई,बढ़ाई जा सकती है । आवंटित ग्राम अपरिवर्तनीय होंगें ।
- (21) निविदा की दरों की वैधता 120 दिन तक रहेगी ।
- (22) सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी ।
- (23) धरोहर राशि बिना निविदायें प्राप्त नहीं की जावेगी ।
- (24) सक्षम अधिकारी को अधिकार होगा कि सभी निविदाओं को बिना कारण बताये अस्वीकृत कर सकता है ।
- (25) सफल नलकूप का भुगतान प्लेटफार्म निर्माण, हैण्ड पम्प स्थापना के उपरांत आवंटन की उपलब्धता पर किया जावेगा ।
- (26) पेयजल की गुणवत्ता परीक्षण हेतु वाटर सेम्पल टेकेदार को जिले में स्थापित प्रयोगशाला तक सहायक यंत्री एवं उपयंत्री के माध्यम से भेजना होगा । जिसका पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जावेगा ।
- (27) नलकूप में न्यूनतम 9 (नौ) मीटर केंसिंग डालना अनिवार्य होगा तथा कम से कम 15 सेंटीमीटर कड़ी चट्टान में बैठाया जाना आवश्यक होगा ।
- (28) कार्यों के सत्यापन के संबंध में विभागीय अधिकारियों के अतिरिक्त पंचायती राज अथवा स्थानीय निकाय से संबंधित पदाधिकारियों के द्वारा सत्यापन निर्धारित प्रपत्र में मय रबर स्टाम्प के किया जाना अनिवार्य होगा, जो बिल के साथ प्रस्तुत करना होगा ।
- (29) कार्य स्थल तक मशीन पहुंचाने की जिम्मेदारी टेकेदार की स्वयं की होगी । कार्य के दौरान किसी हानि एवं दुर्घटना की जिम्मेदारी टेकेदार की होगी ।
- (30) सामान्य दरें 60 से 90 मीटर गहराई हेतु आमंत्रित की जा रही है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर उन्ही, दरों पर अधिक गहराई तक खनन करने की बाध्यता टेकेदार की रहेगी ।

- (31) मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम के अनुसार कार्य की लागत पर 2 प्रतिशत की दर से वाणिज्यिक कर की कटौती देयकों से की जावेगी तथा प्रपत्र में 32 में प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा । निविदाकार का पंजीयन वाणिज्य कर विभाग अंतर्गत होना अनिवार्य है (टिन नम्बर), अन्यथा आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा ।
- (32) कार्य, लक्ष्य एवं आवंटन की उपलब्धता के आधार पर दिया जावेगा ।
- (33) शासन द्वारा निविदा स्वीकृति दिनांक तक कोई संशोधन लागू होता है तो मान्य करने की बाध्यता टेकेदार की रहेगी ।
- (34) कर्मकार उपकर अधिनियम के 1996 के अंतर्गत निविदाकार को इस विभाग द्वारा चिन्हांकित रजिस्ट्रीकरण कर्ता अधिकारी के यहां पंजीयन कराना आवश्यक है । पंजीयन न होने की दशा में अनुबंध के पूर्व पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
- (35) मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल भोपाल के निर्देशानुसार 1 प्रतिशत उपकर टेकेदार के बिल से काटा जावेगा ।
- (36) प्लेटफार्म निर्माण में लगने वाली गिट्टी एवं रेत के कय की विक्रेता की रसीद अथवा रायल्टी जमा की रसीद देयक के साथ जमा करना होगी ।
- (37) असफल नलकूपों पर 45cmX45cmX45cm M-15 ग्रेड का कांक्रेट ब्लाक बनाकर सीलबंद करना आवश्यक होगा ।
- (38) प्रत्येक समूह के लिए पृथक-पृथक निविदा प्रपत्र प्रदाय किए जावेंगे । निविदा हेतु धरोहर राशि (अर्नेस्ट मनी) एफ.डी.आर. के रूप में स्वीकार की जावेगी, जोकि कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड पन्ना के पक्ष में देय हो । बिना अमानत राशि के निविदा अमान्य कर दी जावेगी ।
- (39) पर्याप्त जल आवक क्षमता न मिलने पर 90 मीटर से अधिक गहराई के नलकूप खनन करने की स्थिति में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति उपरांत ही भुगतान किया जा जावेगा ।


कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड
पन्ना (M0प्र0)

पृ0क0/ 3103/ व0ले0लि0/ का0यं0/ लो0स्वा0यां0/ खण्ड/ पन्ना/ 13 पन्ना, दिनांक : 31.8.13
प्रतिलिपि :-

- (1) संचालक सूचना एवं प्रकाशन विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- (2) प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मध्य प्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- (3) मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ग्वालियर परिक्षेत्र की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- (4) अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ग्वालियर मण्डल ग्वालियर/सागर मण्डल सागर /परियोजना मण्डल ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- (5) कलेक्टर जिला पन्ना की ओर सूचनार्थ ।
- (6) कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड ग्वालियर /दतिया/शयोपुर/गुना/शिवपुरी/भिण्ड/मुरैना/सागर/छतरपुर/टीकमगढ/दमोह/परियोजना खण्ड ग्वालियर/परियोजना खण्ड सागर की ओर सूचनार्थ ।
- (7) कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण -----की ओर सूचनार्थ ।
- (8) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन -----की ओर सूचनार्थ ।
- (9) सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड -----की ओर सूचनार्थ ।
- (10) एन0आई0सी0 पन्ना
- (11) नोटिस बोर्ड


कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड
पन्ना (M0प्र0)